न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 /2022

प्रार्थीगण

1. गोविन्द पुत्र बिजोलराम जाति कोली साकिन धानोल तहसील रानीवाडा जिला – जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा
2. कान्तिराम पुत्र छगनाराम निवासी रामपुरा तहसील धानेरा जिला बनासकांठा
3. चन्दूराम पुत्र रणछोड़ाराम निवासी धानोल
4. दिवादेवी पत्नि रणछोड़ाराम निवासी धानोल
5. नीला पुत्री रणछोड़ाराम निवासी धानोल
6. भरत कुमार पुत्र रणछोड़ाराम निवासी धानोल
7. मंजु पुत्री रणछोड़ाराम निवासी धानोल
8. शांतिलाल पुत्र हेमा निवासी धानोल
9. सुखाराम पुत्र हेमा निवासी धानोल
10. सुगनादेवी पत्नि हरीराम निवासी जाखड़ी
11. सहदेवाराम पुत्र रणछोड़ाराम निवासी धानोल
12. सागर पुत्र रणछोड़ाराम निवासी धानोल
13. कालूराम पुत्र धर्माराम निवासी धानोल
14. सविता पुत्री प्रागा निवासी धानोल
15. हकाराम पुत्र धर्माराम निवासी धानोल
16. सोना पुत्र धर्मा निवासी धानोल तहसील रानीवाड़ा उपरोक्त तमाम जातियान कोली
17. अजबलाल पुत्र गोमाराम
18. समद्रादेवी पत्नि अजबलाल [illegible]तियान मेघवाल निवासीयान [illegible] तहसील रानीवाड़ा
19. [illegible] पुत्र [illegible] जाति

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

राजपूत निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

20. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 20 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 08.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99हे. हुई हैं, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हैं तथा सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 2.59हे.आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 के नाम दर्ज हैं। नकल चालू जमाबंदी व चालू नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं। अप्रार्थी संख्या 04 प्रकरण हाजा पेश करने में सहमत नहीं होने से उन्हें बतौर अप्रार्थी पक्षकार जोड़ा गया हैं तथा खसरा नम्बर 1024 का मुख्य विवाद अप्रार्थी संख्या 4 सहित अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के बीच होने से अप्रार्थी संख्या 4 विवाद हो हवा देना चाहती हैं। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1024 के उत्तर पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1022 रकबा 2.41हे.आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजी 1024 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 17 व 18 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1023 रकबा 3.17हे.आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1024 के पश्चिम में व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1026 के उतर में अप्रार्थी संख्या 13 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.64हे.आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 13 से 15 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 20 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1026 के उतर पूर्व में अप्रार्थी संख्या 19 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 4.83हे.आई हुई हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1026 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 13,15,16 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.06हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 13,15,16 के नाम से दर्ज हैं तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 1026 के पश्चिम में आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 1.33हे.आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज हैं। उक्त प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1024 व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 की सामलाती आराजी 1026 व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की आराजी खसरा नम्बर 1027,1025,1033,1032 सीमा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

लेकर विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 08 दिनांक 10.11.2021 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से हल्का पटवारी धानोल द्वारा दिनांक 10.11.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की पालना नहीं की जा सकी तथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमांकन विवाद होने से नहीं किया गया। हल्का पटवारी धामसीन की मौका रिपोर्ट 03.01.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99हे. व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 2. 59हे. की पैमाईश कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1022,1023,1027,1027,1033 के बीच की सीमा का सीमांकर कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 20 की ओर से जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खेत खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1026 रकबा 2.59 हैक्टेयर संयूक्त खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी की पैमाईश हेतु सक्षम स्तर से आदेश जारी करवा कर सीमाज्ञान के प्रयास किये गये तथ हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश की गई, लेकिन पडौसी खातेदारी के काश्तकार खसरा नम्बर 1022 के खातेदारान द्वारा माठ कायमी में विरोध किया गया। जिसमें जाहिर होता है कि मौके पर माठ का विवाद है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व हल्का पटवारी की फर्द अनुसार खसरा नम्बर 1024 की पत्थरगढी की जाती है तो अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार को कोई आपत्ति/एतराज नही है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 20 राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मौजा धानोल में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99 हैक्टेयर व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नम्बर 1026 रकबा 2.59 हेक्टेयर व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1022, 1023, 1027, 1025, 1033 के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करने के आदेश करने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 20 राजपेराकार द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई।
4. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी के विद्वांन अधिवक्ता के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.01.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1024 व खसरा नम्बर 1022 की माठ पर खातेद्वारों द्वारा माठ के निशानात् से असहमत होकर माठ नहीं कायम करने दी गई है। अप्रार्थी संख्या 20 राजपेरोकार द्वारा भी सीमाविवाद होना स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1022 रकबा 2.41 हैक्टेयर आराजी के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.99 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1022 रकबा 2.41 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested